UPLK010096462026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–6/विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन (वी.बी.–यू.पी.एस.ई.बी.), लखनऊ।

पीठासीन अधिकारीः– प्रकाश तिवारी, (एच०जे०एस०)–UP6317

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–4780/2026

(अंतर्गत धारा–482 बी.एन.एस.एस.)

शिशिर भारद्वाज, आयु लगभग 27 वर्ष पुत्र श्री सुशील कुमार भारद्वाज,
निवासी–जेर किला, कन्नौज, उ० प्र०।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ० प्र० सरकार व अन्य

.....अभियोगी।

मु०अ०सं०–695/2025
अं० धारा–67 ए, 66 ई आई०टी० (संशोधन) अधिनियम 2008 व धारा–351(4), 352, 77 भा.न्या.सं.,
थाना–चिनहट, लखनऊ।

17.8.2026

जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

पुकार पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–482 बी०एन०एस०एस० में जमानत हेतु प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से दिया गया था। आज न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि जमानत प्रार्थना पत्र के पार्श्व भाग पर जमानत प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देने संबंधी पृष्ठांकन किया गया है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र को बल न देने के आधार पर निस्तारित किये जाने का निवेदन किया गया।

सुना व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र के पार्श्व भाग पर जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न दिये जाने संबंधी पृष्ठांकन किया गया है, ऐसे में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र बलहीन होने के आधार पर निरस्त किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही मूल पत्रावली विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाए।

(प्रकाश तिवारी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–6/विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन
(वी.बी.–यू.पी.एस.ई.बी.), लखनऊ।

<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), कोर्ट नं०–7, लखनऊ</u>

पीठासीन अधिकारी–(श्री आशीष कुमार चौरसिया) (एच. जे. एस.)–UP6360

<u>जमानत प्रार्थना पत्र सं०–10032/2024</u>

(अंतर्गत धारा–482 बी.एन.एस.एस.)

अनिल कुमार आयु लगभग 40 वर्ष पुत्र श्री सियाराम,
निवासी–ग्राम चकसार, पोस्ट धौरहरा, नवाबगंज, जिला लखनऊ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ० प्र० सरकार

.....अभियोगी।

मु०अ०सं०–546/2024
अं० धारा–108 भा.न्या.सं.,
थाना–गोसाईगंज, लखनऊ।

<u>02.01.2025</u>

जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

पुकार पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–482 बी०एन०एस०एस० में जमानत हेतु प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से दिया गया था। आज न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त अब जमानत प्रार्थना पत्र पर कोई बल नहीं देना चाहता है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र को वापस लेने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

सुना व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न दिये जाने का कथन किया गया है, ऐसे में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र बलहीन होने के आधार पर निरस्त किया जाता है।

(आशीष कुमार चौरसिया)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
भ्र० नि० अधिनियम, कक्ष संख्या–7, लखनऊ।

<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), कोर्ट नं०–7, लखनऊ</u>

पीठासीन अधिकारी–(श्री आशीष कुमार चौरसिया) (एच. जे. एस.)–UP6360

<u>जमानत प्रार्थना पत्र सं०–10030/2024</u>

(अंतर्गत धारा–482 बी.एन.एस.एस.)

प्रदीप कुमार आयु लगभग 45 वर्ष पुत्र श्री सियाराम,
निवासी–ग्राम चकसार, पोस्ट धौरहरा, नवाबगंज, जिला लखनऊ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ० प्र० सरकार

.....अभियोगी।

मु०अ०सं०–546/2024
अं० धारा–108 भा.न्या.सं.,
थाना–गोसाईगंज, लखनऊ।

<u>02.01.2025</u>

जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

पुकार पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–482 बी०एन०एस०एस० में जमानत हेतु प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से दिया गया था। आज न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त अब जमानत प्रार्थना पत्र पर कोई बल नहीं देना चाहता है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र को वापस लेने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

सुना व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न दिये जाने का कथन किया गया है, ऐसे में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र बलहीन होने के आधार पर निरस्त किया जाता है।

(आशीष कुमार चौरसिया)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
भ्र० नि० अधिनियम, कक्ष संख्या–7, लखनऊ।

<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), कोर्ट नं०–7, लखनऊ</u>

पीठासीन अधिकारी–(श्री आशीष कुमार चौरसिया) (एच. जे. एस.)–UP6360

<u>जमानत प्रार्थना पत्र सं०–10030/2024</u>

(अंतर्गत धारा–482 बी.एन.एस.एस.)

प्रदीप कुमार आयु लगभग 45 वर्ष पुत्र श्री सियाराम,
निवासी–ग्राम चकसार, पोस्ट धौरहरा, नवाबगंज, जिला लखनऊ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ० प्र० सरकार

.....अभियोगी।

मु०अ०सं०–546/2024
अं० धारा–108 भा.न्या.सं.,
थाना–गोसाईगंज, लखनऊ।

<u>02.01.2025</u>

जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

पुकार पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–482 बी०एन०एस०एस० में जमानत हेतु प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से दिया गया था। आज न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त अब जमानत प्रार्थना पत्र पर कोई बल नहीं देना चाहता है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र को वापस लेने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

सुना व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न दिये जाने का कथन किया गया है, ऐसे में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र बलहीन होने के आधार पर निरस्त किया जाता है।

(आशीष कुमार चौरसिया)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
भ्र० नि० अधिनियम, कक्ष संख्या–7, लखनऊ।

<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), कोर्ट नं०–7, लखनऊ</u>

पीठासीन अधिकारी–(श्री आशीष कुमार चौरसिया) (एच. जे. एस.)–UP6360

<u>जमानत प्रार्थना पत्र सं०–10025/2024</u>

(अंतर्गत धारा–482 बी.एन.एस.एस.)

बब्लू कुमार आयु लगभग 45 वर्ष पुत्र श्री शिव कैलाश वर्मा,
निवासी–ग्राम चकसार, पोस्ट धौरहरा, नवाबगंज, जिला लखनऊ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ० प्र० सरकार

.....अभियोगी।

मु०अ०सं०–546/2024
अं० धारा–108 भा.न्या.सं.,
थाना–गोसाईगंज, लखनऊ।

<u>02.01.2025</u>

जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

पुकार पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–482 बी०एन०एस०एस० में जमानत हेतु प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से दिया गया था। आज न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त अब जमानत प्रार्थना पत्र पर कोई बल नहीं देना चाहता है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र को वापस लेने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

सुना व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न दिये जाने का कथन किया गया है, ऐसे में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र बलहीन होने के आधार पर निरस्त किया जाता है।

(आशीष कुमार चौरसिया)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
भ्र० नि० अधिनियम, कक्ष संख्या–7, लखनऊ।